

प्रेषक,

गोपाल मीणा,  
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
बांका/दरभंगा/पूर्वी चंपारण(मोतिहारी)/कैमूर(भभुआ)/कटिहार/  
नालन्दा(बिहारशरीफ)/समस्तीपुर/सीतामढ़ी/मधुबनी/नवादा ।

पटना, दिनांक:-

25-9-18

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230 श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्यशीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-112-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास, समूह शीर्ष-केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अन्तर्गत उपशीर्ष-0405-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास (विपत्र कोड 26-2230011120405) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labour-2016 के अन्तर्गत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्रांक- S-11012/04/2017-BL dated-25-04-18 के माध्यम से बांका, दरभंगा, पूर्वी चंपारण(मोतिहारी), कैमूर, कटिहार, नालन्दा(बिहारशरीफ), समस्तीपुर एवं सीतामढ़ी जिलों के विमुक्त बंधुआ श्रमिकों को भुगतान की गयी तत्काल सहायता राशि की प्रतिपूर्ति हेतु 85 बंधुआ मजदूरों के लिये ₹ 17,00,000/- तथा पत्रांक- S-11012/04/2017-BL dated-25-04-18 के माध्यम से दरभंगा, मधुबनी, नवादा, समस्तीपुर एवं सीतामढ़ी जिलों के विमुक्त बंधुआ श्रमिकों को भुगतान की गयी तत्काल सहायता राशि की प्रतिपूर्ति हेतु 80 बंधुआ मजदूरों के लिये ₹ 16,00,000/- मात्र अर्थात् कुल राशि ₹ 33,00,000/- (₹ तैतीस लाख) मात्र उपलब्ध करायी गयी है।

2. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त राशि को वित्त विभाग द्वारा प्रथम अनुपूरक के माध्यम से उपशीर्ष-0405-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास (विपत्र कोड-26-2230011120405) के अन्तर्गत विषयशीर्ष 0405.37.01 अनुग्रह अनुदान में उपबंधित की गयी है।

3. प्रथम अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित की गयी उक्त ₹ 33,00,000/- (₹ तैतीस लाख) मात्र राशि को Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labour-2016 के अन्तर्गत जिलों में गठित कॉरपस फंड से भुगतान की गयी तत्काल सहायता राशि की प्रतिपूर्ति हेतु कुल 165 बंधुआ मजदूरों के लिये ₹ 20,000/- प्रति बंधुआ मजदूर की दर से निम्न प्रकार से आवंटन किया जाता है-

क्रम संख्या	जिला का नाम	विमुक्त बंधुआ मजदूरों की संख्या	Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labour-2016 के अन्तर्गत जिलों में गठित कॉरपस फंड से भुगतान की गयी तत्काल सहायता राशि की प्रतिपूर्ति हेतु प्रथम अनुपूरक के माध्यम से विषयशीर्ष 0405.37.01 अनुग्रह अनुदान में उपबंधित की गयी ₹ 20,000/- प्रति बंधुआ मजदूर की दर से आवंटित राशि
1	2	3	4
1	बांका	19	380000
2	दरभंगा	18	360000
3	पूर्वी चंपारण(मोतिहारी)	27	540000
4	कैमूर (भभुआ)	01	20000
5	कटिहार	16	320000

35

6	नालन्दा (बिहारशरीफ)	06	120000
7	समस्तीपुर	12	240000
8	सीतामढ़ी	11	220000
9	मधुबनी	16	320000
10	नवादा	39	780000
	<b>कुल योग</b>	<b>165</b>	<b>3300000</b>

कुल आवंटित राशि ₹ 33,00,000/- (₹ तैतीस लाख) मात्र।

- यह आवंटन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-6230 दिनांक-24.08.18 के संदर्भ में चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 में 31 मार्च, 2019 तक व्यय के निमित्त वित्त विभाग के पत्रांक-428/वि० दिनांक-31.03.17, पत्रांक-3002/वि० दिनांक-26.04.2017, पत्रांक-662/वि० दिनांक-02.08.18 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि०(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा।
- आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।
- यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक-6903 दिनांक-13.09.18 के आलोक में CFMS Software से निर्गत न कर मैनुअली निर्गत किया जा रहा है।
- यह आवंटन केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम से संबंधित है।

विश्वासभाजन,

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-3010/18 श्र०सं०-

93

पटना, दिनांक

25-9-18

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-3010/18 श्र०सं०

93

पटना, दिनांक

25-9-18

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/\*संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/संयुक्त श्रमायुक्त-01 एवं प्रशाखा-01 (श्रम पक्ष) को उनके गै.सं.प्रे.सं०-221 एवं 222 (श्रम पक्ष) दिनांक-22.06.2018 के आलोक में/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा-6, बजट शाखा, (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, (श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01)द्वारा किया जायेगा।

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।